न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्षः– श्री एम0के0 सिंह
सदस्य

प्रकरण क्रमांक निगरानी 1026–दो/2010 के विरूद्ध पारित आदेश दिनांक 14–05–2010 के द्वारा न्यायालय अपर आयुक्त चम्बल संभाग मुरैना के प्रकरण क्रमांक 147/निगरानी/2005–06

....

जगन्नाथ पुत्र बसन्ते
निवासी– देवरीकलां परगना तहसील– लहार,
जिला–भिण्ड, (म0प्र0)

.... आवेदक

विरूद्ध

1– बलराम पुत्र नारायनदास
2– बल्ले पुत्र रामसहाय,
निवासी– देवरीकलां परगना तहसील– लहार,
जिला–भिण्ड, (म0प्र0)

.... अनावेदकगण

....

श्री एस0पी0 धाकड, अभिभाषक, आवेदक
अनावेदकगण पूर्व से एक पक्षीय है

....

आदेश

(आज दिनांक 15–11–2016 को पारित)

आवेदक द्वारा यह निगरानी न्यायालय अपर आयुक्त चम्बल संभाग मुरैना द्वारा पारित आदेश दिनांक 14–05–2010 के विरूद्ध मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता 1959 (संक्षेप में आगे जिसे संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि आवेदक एवं रामबाबू ने तहसील न्यायालय में आवेदन पत्र देकर बताया कि उनके संयुक्त खाते की मौजा देवरीकलॉ स्थित प्रश्नाधीन भूमि सर्वे क्रमांक 1178/2 रकबा 0.627 हैक्टर तथा 1779 रकबा 3.983 हैक्टर कुल किता 2 कुल रकबा 4.609 है0 का बटवारा किया जावे । नायब तहसीलदार वृत्त असवार ने प्रकरण क्रमांक 2/2001–02/अ–27 पर पंजीबद्ध कर सुनवाई उपरांत आदेश दिनांक 30.09.02 पारित किया

तथा वादग्रस्त भूमि का बटवारा कर दिया। इस आदेश के विरूद्ध अनावेदकगण द्वारा अनुविभागीय अधिकारी, लहार के समक्ष अपील होने पर प्रकरण क्रमांक 12/2003–04/अपील में पारित आदेश दिनांक 15.03.05 से पुनः सुनवाई हेतु प्रत्यावर्तित किया गया। इस आदेश के विरूद्ध आवेदक द्वारा कलेक्टर, भिण्ड के समक्ष निगरानी होने पर प्रकरण क्रमांक 33/2005–2006/निगरानी में पारित आदेश दिनांक 07.08.06 से निगरानी अस्वीकार की गई। इसी आदेश के विरूद्ध आवेदक द्वारा निगरानी अपर आयुक्त चम्बल संभाग, मुरैना के समक्ष पेश की गई। जहॉ प्रकरण क्रमांक 147/2005–06/निगरानी पर दर्ज किया जाकर पारित आदेश दिनांक 14.05.2010 द्वारा निगरानी ठोस आधार के अभाव में निरस्त की गई । इसी आदेश से परिवेदित होकर आवेदक द्वारा यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई हैं ।

3/ आवेदक के अभिभाषक द्वारा तर्क प्रस्तुत कर यह बताया है कि बटवारा आदेश दिनांक 30.09.02 को पारित करते समय बटवारा नियमों का विधिवत पालन किया गया नियम 27 का पूर्णतः पालन करने के पश्चात पटवारी मौजा से फर्द बनवाई जाकर फर्दो का विधिवत प्रकाशन किया गया है। फिर अपील में परित आदेश दिनांक 15.03.05 से उक्त आदेश को निरस्त करने में भूल की है। विधिवत नियमों का पालन कर आदेश पारित किया है। सभी सहखातेदारों को साक्ष्य व सुनवाई का पर्याप्त अवसर प्रदान किया जाकर आदेश पारित किया है, उक्त आदेश को बिना दस्तावेजी साक्ष्य से नहीं बदला जाना चाहिए । उक्त आदेश बिना किसी कानूनी आधार के होने के कारण तथा उक्त आदेश को अपीलीय न्यायालय द्वारा स्थिर रखे जाने की अधिकारित नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय वर्ग–1 भिण्ड के समक्ष प्रकरण क्रमांक 140ए/04ई वी प्रस्तुत किया गया। उक्त प्रकरण दिनांक 31.07.08 से अदम पैरवी में निरस्त हो गया हो तो राजस्व न्यायालय को उक्त आदेश के पालन में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश निरस्त किया जाना न्यायोचित था। अतः निगरानी स्वीकार किया जावे।

4/ अनावेदकगण को रजिस्टर्ड डाक द्वारा सूचना भेजी गई, परन्तु कोई उपस्थित नहीं । अतः उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की जाती है।

5/ मेरे द्वारा उभयपक्ष अभिभाषकों के तर्को का अवलोकन किया गया था तथा अधीनस्थ न्यायालयों के अभिलेखों का अध्ययन किया गया । अभिलेख के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि तहसील न्यायालय में की गई आपत्ति अनुसार संयुक्त परिवार में रहते हुये बसन्ते पुत्र मुन्नालाल के नाम रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से भूमि क्रय की गई थी और क्रय पत्र के आधार पर

नामांतरण का प्रकरण तहसील न्यायालय में चल रहा था, किन्तु नायब तहसीलदार ने क्रय की गई भूमि को न तो बटवारें में सम्मिलित किया और न ही क्रय की गई भूमि के नामांरतण बावत प्रचलित प्रकरण को बटवारे के प्रकरण में शामिल किया । भूमि की किस्म एवं उसकी गुणवत्ता का नायब तहसीलदार ने ध्यान नहीं रखा, जबकि बटवारा नियमों के अनुसार भूमि की किस्म एवं उपज आदि का ध्यान रखा जाकर बटवारा किया जाता है क्योंकि किसी पक्षकार विशेष को अधिक लाभप्रद भूमि प्राप्त न होने पाये और दूसरे पक्षकारों को कम उपजाऊ भूमि भी न मिले। इन सभी तथ्यों का ध्यान रखा जाना आवश्यक है और अनुविभागीय अधिकारी ने इन सभी तथ्यों को ध्यान में रखकर प्रकरण पुनः सुनवाई हेतु प्रत्यावर्तित करने में किसी प्रकार की त्रुटि नहीं करना पाया जाता है और इस संबंध में कलेक्टर भिण्ड द्वारा निकाले गये निष्कर्ष भी उचित होने से निगरानी में किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। अपर आयुक्त चम्बल संभाग, मुरैना ने इसी स्तर पर कलेक्टर भिण्ड द्वारा पारित आदेश दिनांक 07.08.06 यथावत रखा है।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त चम्बल संभाग, मुरैना द्वारा प्रकरण क्रमांक 147/निगरानी/2005–06 में पारित आदेश दिनांक 14–05–2010 विधिनुकूल होने से स्थिर रखा जाता है। तत्पश्चात पक्षकार सूचित हो। प्रकरण समाप्त होकर दाखिल रिकॉर्ड हो।

(एम0के0 सिंह)
सदस्य
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर